

शिक्षा विभाग  
बिहार सरकार  
::अधिसूचना::

पटना, दिनांक- 30/03/2026

संचिका संख्या-07/मु0-02-37/2025.....1168 / तत्कालीन प्रवृत्त 'बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012' एवं 'बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012' सम्प्रति 'बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023' के प्रभावी तिथि के पूर्व का है, में प्रावधानित है कि मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी। उक्त नियमावली में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के संबंध में नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार, नियुक्ति हेतु अर्हता, सेवा संबंधी शर्तें, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अवकाश के प्रावधानित किए गए हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक-3907 दिनांक-31.10.2025 में प्रावधान के आलोक में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-954 दिनांक-27.02.2026 के द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल 239 सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उक्त दिशा-निर्देश के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-सारणी / कैलेण्डर निर्धारित किया जाना है। साथ ही उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए विहित प्रपत्र तैयार किया जाना है।

3. उक्त के क्रम में राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित समय-सारणी / कैलेण्डर निर्धारित किया जाता है:-

क्र०सं०	नियोजन से संबंधित गतिविधि	अवधि
(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार पदों को उपावंटित करते हुए नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्त पदों का जिला के NIC के पोर्टल पर संसूचन करना।	08.04.2026
(ii)	नियोजन इकाई द्वारा रिक्त पदों का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	11.04.2026
(iii)	योग्य अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन	11.04.2026 से 26.04.2026

1/


	पत्र प्राप्ति की तिथि।	
(iv)	नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	29.04.2026
(v)	मेधा सूची पर आपत्ति (यदि हो तो) प्राप्त करने हेतु उसे जिला के जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	29.04.2026
(vi)	आपत्ति प्राप्त करने की अवधि	29.04.2026 से 05.05.2026
(vii)	प्राप्त आपत्ति के निराकरण के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार से मेधा सूची पर अंतिम रूप से अनुमोदन प्राप्त करना।	09.05.2026
(viii)	अंतिम मेधा सूची का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	09.05.2026
(ix)	जिला स्तर पर आहूत कैम्प में मेधा क्रम से अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर उनके प्रमाणपत्र की प्रारंभिक जाँच एवं चयन सूची तैयार करना।	12.05.2026
(x)	कोटिवार रिक्ति के अनुसार चयन सूची का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	13.05.2026
(xi)	चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण	28.05.2026

4. विभागीय अधिसूचना संख्या 954 दिनांक-27.02.2026 में निहित प्रावधान के अनुरूप मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। जिला स्तर पर कैम्प का निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के परामर्श से किया जाएगा।

5. निर्धारित कैम्प में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त मानते हुए उपस्थित अभ्यर्थिगण अंतर्गत अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।

6. चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रमाणपत्रों की जाँच की जानी है। इससे संबंधित विस्तृत निदेश पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(अजय सतीश भेंगरा)

ज्ञापांक 07 / मु0-02-37 / 2025..... 1168

उप सचिव, शिक्षा विभाग।  
पटना, दिनांक..... 30/03/2026

प्रतिलिपि:—सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम /सभी जिला पदाधिकारी/  
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा  
पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी  
कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) / सभी प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास  
पदाधिकारी / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/03/26

ज्ञापांक 07 / मु0-02-37 / 2025..... 1168

उप सचिव, शिक्षा विभाग।  
पटना, दिनांक..... 30/03/2026

प्रतिलिपि:— राज्य परियोजन निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक  
शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय  
प्राधिकार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/03/26

ज्ञापांक 07 / मु0-02-37 / 2025..... 1168

उप सचिव, शिक्षा विभाग।  
पटना, दिनांक..... 30/03/2026

प्रतिलिपि:—आई0 टी0 मैनेजर , शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/03/26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।



1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैट्रिक						
2.	माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक / इण्टर						
3.	स्नातक / स्नातक प्रतिष्ठा						
(घ) प्रशैक्षणिक योग्यता :-							
	शारीरिक शिक्षा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री						

नोट :- आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

### घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान.....

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

### प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती.....से मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या.....है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम